

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक:एफ.1(3)(1)नपा/रानिआ/94/वो.1/1551

दिनांक: 10.02.2026

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13 के उपबन्धों के अनुसरण में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) से प्राप्त प्रस्तावानुसार निम्नलिखित तालिका के कॉलम-3 में अंकित नगरीय निकायों हेतु कॉलम-4 में अंकित अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं कॉलम संख्या-5 में अंकित अधिकारियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पद पर पदाभिहित किया जाता है :-

क्र.सं.	जिले का नाम	नगरपालिका/परिषद/निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	कोटा	नगर निगम कोटा	1. अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) कोटा 2. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा	1. उप रजिस्ट्रार द्वितीय, कोटा 2. सहायक भू-प्रबंध अधिकारी, द्वितीय, कोटा 3. तहसीलदार कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा 4. तहसीलदार भू-अभिलेख कलक्ट्रेट, कोटा 5. नायब तहसीलदार दीगोद, कोटा 6. तहसीलदार प्रथम कोटा विकास प्राधिकरण 7. सहायक भू-प्रबंध अधिकारी (मुख्यालय) कोटा 8. नायब तहसीलदार , लाडपुरा 9. सहायक प्रधानाचार्य, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र कोटा

	नगरपालिका रामगंजमण्डी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी	नायब तहसीलदार, चेचट
	नगरपालिका सुकेत	तहसीलदार, रामगंजमण्डी	नायब तहसीलदार, रामगंजमण्डी
	नगरपालिका सांगोद	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांगोद	तहसीलदार, सांगोद
	नगरपालिका इटावा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, इटावा	तहसीलदार, पीपल्दा
	नगरपालिका सुल्तानपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद	तहसीलदार, दीगोद
2	खैरथल-तिजारा	नगर परिषद खैरथल	उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ वास
			तहसीलदार, खैरथल

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव,

दिनांक: 10.02.2026

क्रमांक: एफ.1(3)(1)नपा/रानिआ/94/वो.1/1555-1558

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), कोटा एवं खैरथल-तिजारा।
2. संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, उदयपुर।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन में
हेतु ई-गजट पर अपलोड करने/समस्त संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
4. गार्ड फाईल।

(अम्बालाल मीणा)

उप सचिव